B.P. 942 /2020

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम, गोपालगंज।

जमानत आवेदन संख्या – 942/2020

राहुल नोनिया उर्फ चौहान उर्फ राहुल कुमार...............................आवेदक

बनाम

बिहार सरकार..विपक्षी पक्ष

आवेदक के तरफ से श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।

विपक्षी के तरफ से श्री देव वंश गिरि, लोक अभियोजक ।

07.01.2021

काराधीन आवेदक अभियुक्त राहुल नोनिया उर्फ चौहान उर्फ राहुल कुमार जो दिनांक 06.10.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, तथा उचकागांव थाना कांड संख्या 105/2020 अन्तर्गत धारा 461, 379 भारतीय दण्ड संहिता का अभियुक्त है, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया ।

उभय पक्ष को सुना ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 15.12.20 को खारिज किया गया है । आवेदक बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है । गांव की गंदी राजनीति एवं पुलिस के मनमानी के कारण झूठा फंसा दिया है । आवेदकन न तो प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है और न ही आवेदक के पास से कोई सामान जप्त नहीं किया गया है । आवेदक को उचकागांव थाना कांड संख्या 104/20 में गिरफ्तार किया गया जिससे इस केस में आवेदक को रिमाण्ड कर दिया गया है । इस कांड के सह अभियुक्त का जमानत पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है । आवेदक ने कोई आहपराधिक कृत्य नहीं किया है । आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये ।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया ।

अभियोजन का केस संक्षेप में यह है कि सूचक सोनु कुमार के दुकान से अज्ञात चोर द्वारा सेलिंग पंखा, लेपटाप, मोबाईल, बैटरी एवं नगद 23000/– रूपया चुरा लिया गया है ।

कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त पर सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के दुकान से सेसेलिंग पंखा, लेपटाप, मोबाईल, बैटरी एवं नगद 23000/– रूपया चोरी कर लेने का अभियोग है । प्राथमिकी अज्ञात लोगों

B.P. 942 /2020

<u>**लगातार 07.01.2021**</u>

पर दर्ज किया गया है । कांड दैनिकी के कंडिका 4, 7 एवं 8 में साक्षियों का बयान दर्ज है जिसने अज्ञात चोर द्वारा चोरी की बात कहा है । कांड दैनिकी के कंडिका 11 से स्पष्ट है कि आवेदक को उचकागांव थाना कांड संख्या 104/20 में गिरफतार किया गया जिससे इस कांड में रिमाण्ड किया गया हे । कांड दैनिकी के कंडिका 31 में आवेदक के अपराधिक इतिहास का उल्लेख है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध हथुआ थाना कांड संख्या 98/2018, फुलवरिया थाना कांड संख्या 130/2018 एवं मीरगंज थाना कांड संख्या 124/20 दर्ज है जबकि ओवदक के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के दौरान कथन किये कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । इस कांड के दो सह अभियुक्त मुकुल शर्मा और सुरज कुमार का जमानत पूर्व में इस न्यायालय से स्वीकृत किया जा चुका है। आवेदक का भी समरूप आधार है । आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र भी समर्पित है । आवेदक दिनांक 06.10.20 से कारा में है । मेरे विचार में आवेदक को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत होता है ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक राहुल नोनिया उर्फ चौहान उर्फ राहुल कुमार के तरफ से मो0 **दस हजार** रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के **दो** प्रतिभू दाखिल करने पर एवं निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है <u>आवेदक का एक जमानतदार सरकारी सेवक होगा ।</u>

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम,
गोपालगंज ।

प्रतिलिपिः– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम,